डिक्री ब मुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7 जाबता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Applendix 'D'-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर चौहटन मुकाम चौहटन

व इजलास ***श्री भूपेन्द्र कुमार यादव, आर.ए.एस.***

अनवान

वादीगण – 1.पना 2.आईदान 3.ताजा 4.धर्मा पि.मघा
जातियान जाट, निवासी बाण्डाबेरा
तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर।

बनाम

प्रतिवादीगण – 1. हाजी अरबाब पुत्र मियल 2.ईस्माईल 3.दोसू 4.हनीफ
पि. हाजी अरबाब , जाति मुसलमान
निवासी बाण्डाबेरा, तहसील सेड़वा।

अधिवक्तागण – वादीगण वकील – **श्री शाकर खान**

वाद बाबत **188 RT Act.**

मुकदमा नं. 205/2013

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू.ब.रू. **न्यायालय** बहाजरी **श्री शाकर खान** एड. मिनजानिब मुदाई व **श्री** .... एड . मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर **तहसील सेड़वा के मौजा बाण्डाबेरा में खसरा सं. 402 रकबा 35.01 बीघा का आया हुआ है।** उक्त विवादित भूमि प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा इस कदर पाबन्द किया जाता है कि वो वादीगण के खसरा सं. 402 रकबा 35.01 बीघा भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करेंगे तथा न ही अनाधिकृत प्रवेश कर अतिक्रमण करने का प्रयास करेंगे। लगातार शेष पृष्ट पर..........................
बीज .... मबलिग .... बाबत .... पर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह .... फीसदी सालाना आज ही तारीख से तारीख व सूलप्रार्थी तक .... को अदा करे।

बसग्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 29.06.2018 को जारी की गई।

दस्तखत..........................

ओहदा .... सहायक कलक्टर (SDO) चौहटन

मुहर

सहायक कलक्टर चौहटन

मुदई	रूपया	पै.	मुद्दायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदाया स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प सबूत पइमनामा वकील खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वर्जी महनताना वकील) पर खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान		
मीजान					

नोट :– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा दर दो फरीकेन का चाहे बिकरी के जरिये दिलावे .... करना।

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

राजस्व वाद सं. 205/2013

पीठासीन अधिकारी –श्री भूपेन्द्र कुमार यादव, आर.ए.एस

अनवानः–

वादीगण – 1.पना 2.आईदान 3.ताजा 4.धर्मा पि.मघा
जातियान जाट, निवासी बाण्डाबेरा
तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर।

बनाम

प्रतिवादीगण – 1. हाजी अरबाब पुत्र मियल 2.ईस्माईल 3.दोसू 4.हनीफ
पि. हाजी अरबाब , जाति मुसलमान
निवासी बाण्डाबेरा, तहसील सेड़वा।

अधिवक्तागण – वादीगण वकील – श्री शाकर खान

अन्तर्गत धारा 188 RT Act.

निर्णय

सहायक कलक्टर चौहटन

दिनांक :– 29.06.18

वादीगण द्वारा पेश वाद का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण की संयुक्त खातेदारी का खेत मौजा बाण्डाबेरा, तहसील सेड़वा में खसरा सं. 402 रकबा 35.01 बीघा का आया हुआ है। जिस पर वादीगण की रहवासी ढाणियां, पानी के टांके, पशुबाड़े इत्यादि बने हुए है। वादीगण के खेत खसरा सं. 402 के लगोलग ही प्रतिवादी सं. 1 से 4 की खातेदारी के खेत है। प्रतिवादीगण बदमाश प्रवृति के लोग है। वादीगण के कब्जा काश्त में दखलन्दाजी करते है तथा वादीगण के खेत में अनाधिकृत प्रवेश कर अतिक्रमण कर पक्का निर्माण करना चाहते है। इसलिए वादीगण ने वाद पेश कर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने हेतु इस्तदुआ चाही है कि प्रतिवादीगण स्वयं या अन्यों के जरिये वादीगण के कब्जा काश्त में दखलन्दाजी नहीं करे, न ही वादीगण के खेत में अनाधिकृत प्रवेश कर किसी प्रकार का अतिक्रमण करे।

सहायक कलक्टर
(SDO) चौहटन

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण के सम्मन बाद तामिल सुदा प्राप्त, लेकिन कोई उपस्थित नहीं। अतः प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

पत्रावली न्याय आपके द्वार 2018 राजस्व लोक अदालत/कोर्ट कैम्प बामणोर में पेश हुई। प्रतिवादीगण ने उपस्थित होकर राजीनामा पेश कर निवेदन किया कि हम प्रतिवादीगण का वादीगण से मौके पर किसी प्रकार का कोई झगड़ा नहीं है, हम वादीगण की भूमि खसरा सं. 402 में प्रवेश नहीं करते है। इसके बावजूद भी यदि हमें वादीगण के खेत खसरा सं. 402 रकबा 35.01 बीघा भूमि में घुसने एवं किसी प्रकार की दखलन्दाजी न करने हेतु पाबन्द किया जाता है तो हमें कोई आपति नहीं है। अतः वादीगण का वाद स्वीकार कर डिक्री किया जावे।

पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया । पत्रावली पर सलंग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया । जिससे स्पष्ट होता है कि वादीगण का वाद स्वीकार करने योग्य है।

अतः वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 188 रा.का.अ. का स्वीकार किया जाकर आदेश है कि **तहसील सेड़वा के मौजा बाण्डाबेरा में खसरा सं. 402 रकबा 35.01 बीघा का आया हुआ है।** उक्त विवादित भूमि प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा इस कदर पाबन्द किया जाता है कि वो वादीगण के खसरा सं. 402 रकबा 35.01 बीघा भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करेंगे तथा न ही अनाधिकृत प्रवेश कर अतिक्रमण करने का प्रयास करेंगे।

तहसीलदार सेड़वा निर्णयानुसार आदेश की पालना सुनिश्चित करावे।

निर्णय आज दिनांक 29.06.18 को न्याय आपके द्वार लोक अदालत/कोर्ट कैम्प बामणोर मे सुनाया गया।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर चौहटन

(भूपेन्द्र कुमार यादव)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी चौहटन